(क) क्या शिरडी, तिरूपति, द्वारका, स्वर्णमंदिर, अम्बाजी, अक्षरधाम नोएडा, सबरीमाला, मीनाक्षी मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर, पुरी जगन्नाथ मंदिर, अजमेर दरगाह, हाजी अली दरगाह इत्यादि विभिन्न प्रसिद्ध पवित्र स्थलों पर संभावित आतंकी हमलों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय इनकी सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त करने के लिए राज्य सरकारों से सम्पर्क करने की प्रक्रिया में है क्योंकि ये स्थल आतंकवादियों की आसान पहुंच में हैं; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)**

**(क) से (ख): सार्वजनिक स्थानों, जिसमें धार्मिक महत्व के स्थान सम्मिलित हैं, पर सुरक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्‍य प्रशासनों का है।**

 **केन्द्रीय सुरक्षा एजेन्सियां महत्वपूर्ण स्थानों, जिसमें धार्मिक महत्व के स्थान सम्मिलित हैं, की आवधिक सुरक्षा समीक्षाएं करती हैं तथा सुरक्षा समीक्षाओं की रिपोर्ट को सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उसमें की गई सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रेषित कर दिया जाता है। खतरे की सूचनाएं जब और जैसे ही प्राप्त होती है, उनका राज्य सरकारों के साथ तत्काल आदान-प्रदान किया जाता है तथा परामर्श पत्र भी जारी किए जाते हैं।**

 **इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की उनकी आवश्यकता के अनुसार तैनाती हेतु उपलब्ध कराया जाता है। कुंभ मेला, जगन्ननाथ रथ यात्रा, अजमेर में वार्षिक उर्स इत्यादि के अवसरों पर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की अतिरिक्त तैनाती के अनुरोधों पर भी विचार किया जाता है तथा इन धार्मिक स्थानों/समारोहों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बल उपलब्ध कराए जाते हैं।**